

4-90

231/1-14-7
14/3/15

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1

संख्या-1236/37-1-15-2(37)/2014

लखनऊ: दिनांक 12 मार्च, 2015

आदेश

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा पशु चिकित्साधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, निवारी-288/16/84सी, सोहबतिया बाग, इलाहाबाद के चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद की स्वस्थता परीक्षा में स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त श्री राज्यपाल श्री अजय कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत पे बैंड-3 रू० 15600-39100, ग्रेड वेतन रू० 5400 में पशु चिकित्साधिकारी के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियुक्त करने तथा पशु चिकित्सालय खेजुरी, जनपद बलिया पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त अभ्यर्थी पशु चिकित्साधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।
- 2- अभ्यर्थी की सेवा शर्तें शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होंगी।
- 3- उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात वेतन के अतिरिक्त समय-समय विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हों, देय होंगे।
- 4- उ०प्र० अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- 5- अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या अपनी तैनाती के जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- 6- अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगा। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार न करने की स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 7- तैनाती के जनपद तक जाने/पहुँचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8- अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा:-
(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।
(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

378/5710241/14-3-15
सं० नि० (पशुधन)

My

13-03-2015

अजय कुमार सिंह

14/3/15

प्र० 300 (मध्य)

14-3-15

pashudhan 1

अजय कुमार सिंह
14/3/15

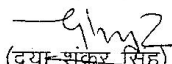
- (3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
(5) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र।
- 9- श्री अजय कुमार सिंह, पशु चिकित्साधिकारी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-1236 (1)/37-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-63/07/एस-2/डी/2010-11, दिनांक 27 जून, 2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (3) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- ✓(4) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
- (6) सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया नियुक्त अभ्यर्थियों को प्रस्तर-8 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों/घोषणा पत्र के प्रारूप को उपलब्ध कराते हुये सम्बन्धित अभ्यर्थी से वांछित प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र (पूर्णरूप से भरवाकर) प्राप्त कर उन्हें तैनाती स्थल पर योगदान कराये और योगदान रिपोर्ट शासन को विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर अवश्य प्रेषित करें।
- (7) कोषाधिकारी, बलिया।
- (8) सम्बन्धित अधिकारी (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दयान-सिंह)
संयुक्त सचिव।